

अनुदान संख्या 48 - स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
GRANT No. 48 – DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत- मूल	Voted- Original	908,00,00		
			908,03,00	720,44,17
पूरक	Supplementary	3,00		-187,58,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			183,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचत/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"			
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat – Social Services			
मू.	O.	1600.00		
			224.00	128.13
पु.	R.	-1376.00		-95.87
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"			
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health			
मू.	O.	82600.00		
पू.	S.	3.00	72279.00	71916.04
पु.	R.	-10324.00		-362.96
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	6600.00		
		
पु.	R.	-6600.00		..

(I) ₹16420.00 लाख का प्रावधान बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹16300.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष “2210” –

(क) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अन्य व्यय - अनुसंधान अभिशासन का संवर्धन और मार्गदर्शन” - ₹200.00 लाख;

(ख) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - स्वास्थ्य अनुसंधान का संवर्धन, समन्वय और विकास” - ₹3000.00 लाख;

(ग) “लोक स्वास्थ्य” -

(i) “निर्देशन और प्रशासन - सरकारों/संगठनों/संस्थाओं के साथ समन्वय” - ₹1300.00 लाख;

(ii) “प्रशिक्षण - चिकित्सा और स्वास्थ्य में अनुसंधान” - ₹2100.00 लाख; और

(iii) “रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण - प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन” - ₹3000.00 लाख।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान अनुसंधान क्रियाकलापों की धीमी प्रगति के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घ) “सामान्य - अन्य व्यय -चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में धर्मार्थ और धार्मिक दान” - ₹200.00 लाख नई स्कीम शुरू न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष “2552” - “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी” -

(I) Provision of ₹16420.00 lakhs remained wholly unutilised under twelve heads; of these ₹16300.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “2210” –

(a) “Urban Health Services - Allopathy - Other Expenditure - Promotion and Guidance on Research Governance”- ₹200.00 lakhs;

(b) “Medical Education, Training and Research – Allopathy – Promotion, Co-ordination and Development of Health Research” – ₹3000.00 lakhs;

(c) “Public Health” –

(i) “Direction and Administration – Co-ordination with Governments/ Organisations/Institutions”- ₹1300.00 lakhs;

(ii) “Training – Research in Medicine and Health”- ₹2100.00 lakhs; and

(iii) “Prevention and Control of Diseases – Management of Natural calamities”- ₹3000.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilised due to slow progress in research activities.

(d) “General - Other Expenditure – Charitable and Religious Endowments in Medicine and Health Reseach Areas”- ₹200.00 lakhs - due to non-taking off of the new scheme.

(B) Major Head “2552” – “Medical Education, Training and Research – Allopathy” -

- (क) “भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली” - ₹4800.00 लाख;
- (ख) “चिकित्सा, जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान में समन्वय” - ₹400.00 लाख;
- (ग) “प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन” - ₹400.00 लाख; और
- (घ) “स्वास्थ्य अनुसंधान का संवर्धन, समन्वय और विकास” - ₹900.00 लाख।

- (a) “Indian Council of Medical Research, New Delhi” – ₹4800.00 lakhs;
- (b) “Co-ordination in Medical, Biomedical and Health Research” – ₹400.00 lakhs;
- (c) “Management of Natural calamities” – ₹400.00 lakhs; and
- (d) “Promotion, Co-ordination and Development of Health Research” – ₹900.00 lakhs.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount

(II) मुख्य शीर्ष “2251” - “सचिवालय - स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग” के अंतर्गत ₹1471.87 लाख की बचत (₹1600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “2251” – “Secretariat – Department of Health Research” – saving of ₹1471.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1600.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(III) मुख्य शीर्ष “2210” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head “2210” – savings occurred under the following heads:-

(का) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अन्य व्यय - चिकित्सा, जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान में समन्वय” - ₹1294.00 लाख की बचत (₹1300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान क्रियाकलापों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(A) “Urban Health Services - Allopathy - Other Expenditure - Co-ordination in Medical, Biomedical and Health Research” – saving of ₹1294.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs) was due to slow progress in research activities.

(खा) “सामान्य - अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग - संगठन/भारत और विदेश में सम्मेलन में सहभागिता” - ₹473.96 लाख की बचत (₹480.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत और विदेश में कम संख्या में सम्मेलनों का आयोजन किए जाने के कारण हुई।

(B) “General – International Co-operation – Organisation/Participation to conferences in India and Abroad” – saving of ₹473.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹480.00 lakhs) was due to holding of less number of conferences in India and Abroad.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1144.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2012 और मार्च, 2013 में मुख्य शीर्ष “2210” - “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली अनुदान” के अंतर्गत ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹901.00 लाख था।

2. The above savings were partly (₹1144.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in December, 2012 and March, 2013 under Major Head “2210” – “Medical Education, Training and Research - Allopathy – Grants to Indian Council of Medical Research, New Delhi”. Actual excess, however, was ₹901.00 lakhs.